CIF IMPACT FACTOR:4.465

North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

ISSN: 2454-2326 Vol. 4, Issue-5 May-2018

Index Copernicus Value 58.12

मध्यप्रदेश में संसदीय मतदान– एक विश्लेषण

डॉ. रेखा भद्रसेन

भारत के 29 राज्यों में मध्यप्रदेश राज्य का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत के âदय स्थल में है। यहॉ राज्यों में पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह देश की राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव डालता है, अतः ऐसा पुनर्गठन स्वीकार नहीं करना चाहिये जो देश में मतभेद, या तनाव पैदा करे। राज्यों के पुनर्गठन में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की कीमत पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिये, पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा होना चाहिये, संघ की ईकाईयों की आत्मनिर्भरता, आर्थिक साधन, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योगों का विकास हो सके, राज्यों के पुनर्गठन में वहां की जन–इच्छा का ध्यान रखना चाहिये,यह आवश्यक है कि राज्य का आकार भौगोलिक दृष्टि से सुविधाजनक हो, भारत में राज्यों के पुनर्गठन और नवनिर्माण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाषायी राज्यों में सामाजिक एकता की सम्भावना अन्य आधारों की तुलना में अधिक रहती है, अतः अन्य आधारों की तुलना में भाषा का आधार उचित है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों और प्रान्तों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया गया जिसमें क, ख, ग श्रेणी को राज्य और घ श्रेणी को केन्द्र शासित प्रदेश माना गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की मांग बहुत की गई थी। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर–प्रस्ताव में इस प्रकार की मांग का अनुमोदन किया था। स्वतंत्रता के बाद देश के विघटन के भय से प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया परन्तु मद्रास राज्य में आन्ध्रप्रदेश की स्थापना के लिये यह आंदोलन तेज होता गया और दंगे बढ़ गये। अन्त में भारत सरकार को अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु–भाषी भागों को अलग कर आंध्र प्रदेश की स्थापना करनी पड़ी।

आन्ध्रप्रदेश की स्थापना से पुरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तीव्र हो गई। दिसम्बर 1953 में प्रधानमंत्री द्वारा ससंद में घोषणा की गई कि भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक आयोग नियुक्त करेगी। इसके बाद शीघ्र ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग को भाषा तथा संस्कृति के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे देश की एकता व सुरक्षा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक हित आदि को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया। अक्टूबर 1955 में इस आयोग ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 16 राज्य एवं 3 केन्द्र शासित क्षेत्रों की सिफारिश की गई थी। आयोग ने अलग महाराष्ट्र और गुजरात की मांगों को स्वीकार नहीं किया जिससे बम्बई राज्य में आन्दोलन फैला। संसद ने जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्वीकृत कर दिया। आयोग की सिफारिश के अनुसार मध्यभारत, भोपाल, विंध्यप्रदेश आदि राज्यों को समाप्त किया गया और मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केन्द्र शासित क्षेत्र बनाये गये।

1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :–

अ. बुल्ढ़ाना, अकोला, अमरावती, यतवमाल, वर्धा, नागपुर, भण्डारा व चांदा जिले तत्कालीन मुम्बई राज्य में मिला दिये गये। वर्तमान में ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। इसके अलावा शेष बचा क्षेत्र मध्यप्रदेश में शामिल दिया गया।

ब. मन्दसौर जिले की भानपुरा तहसील (सुनेल टप्पा नामक भाग को छोड़कर) के अलावा पार्ट सी का राज्य मध्यभारत मध्यप्रदेश में शामिल कर लिया गया।

स. भोपाल राज्य को मध्यप्रदेश में मिला दिया गया।

द. पार्ट सी के विंध्यप्रदेश को भी मध्यप्रदेश में मिला दिया गया।

इ. राजस्थान के कोटा जिले की सिरोज तहसील वर्तमान मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दी गई है।

1 नवम्बर 1956 को नये मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई जो कि पूर्व में सीहारे जिले की एक तहसील थी।

1 नवम्बर 1956 में गठित मध्यप्रदेश ऐतिहासिक रूप से गौरवशाली प्राचीन संस्कृति का केन्द्र रहा है। मौर्ययुग में बने हुये तथा मालवा की पृष्ठभूमि पर आधारित सांची के स्मारक आज विश्व में विख्यात है। यहां वह अनश्वर नगरी उज्जयिनी है, जहां कभी विक्रमादित्य महान ने अद्भुत शौर्य एवं अपरिमित दान–वीरता के साथ शासन किया था। यहीं कालिदास ने कल्पनाओं को संजोकर अमर काव्यों की रचना की थी। खजुराहो के मंदिर प्राचीन वास्तुकला की अनुपम धरोहर है जिसे देखने के लिये बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आते है। इतिहासविदों के अनुसार मध्य प्रदेश ने आर्थिक, दार्शनिक, साहित्यिक और कला सम्बन्धी जीवन को पृष्ठभूमि प्रदान करते हुये, राजनीतिक परिवर्तनों को चिन्हित किया है। मध्यप्रदेश जैसी सांस्कृतिक परम्परा भारत के थोड़े राज्यों की है। प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व की सामग्री, वनस्थल, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक साधनों की बहुलता जो राज्य को उपलब्ध है, वे अन्य क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है। इस प्रकार मध्यप्रदेश कला, संस्कृति इतिहास, संगीत, आदिवासी संस्कृति की विरासत बहुरंगी, विलक्षण, चकित करने वाली, विविध आयामी है।

भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्यप्रदेश नाम दिया गया है। भारत के पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमायें मिलती है।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ देशी राज्यों के विलय के बाद देश में तीन प्रकार के राज्य बनें जिन्हें 'ए' श्रेणी 'ब' श्रेणी तथा 'सी' श्रेणी के राज्य कहा गया। वर्तमान मध्यप्रदेश में विलीन होने के पूर्व मध्य भारत का भाग 'ए' श्रेणी के राज्य में था, मध्यभारत 'बी' तथा विंध्यप्रदेश और भोपाल 'सी' श्रेणी के राज्य थे। 1951 के प्रथम आम चुनाव के बाद पूरे देश में राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर एक जैसे राज्यों के निर्माण के लिये राज्यों के पुनर्गठन की भावना बलवती हुई। जनता की मांग का आदर करते हुये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953

में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग के अन्य सदस्य पं. हृदयनाथ कुंजय और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने शुद्धभाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश करते हुये देश के मध्य भाग में एक नये हिन्दी भाषी राज्य मध्यप्रांत के हिन्दी भाषी जिले, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल के राज्यों को विलय कर नये राज्य मध्यप्रदेश का गठन करने की अनुशंसा की। वर्ष 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ। इस विधेयक के पास होते ही 1 नवम्बर 1956 को नवीन मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना हुई।[प]

31 अक्टूबर 1956, की मध्यरात्रि को राजधानी भोपाल के मिन्टो हॉल में मुख्य समारोह में मध्यप्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभि सीमारामैया को मुख्य न्यायाधीश मो.हितायतउल्ला ने शपथ दिलाई। तदन्तर राज्यपाल ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल एवं उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को शपथ दिलाई।[पप]

नवीन मध्यप्रदेश राज्य बनाने के 44 वर्ष बाद मध्यप्रदेश का विभाजन कर 1 नवम्बर 2000 को नवीन राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया विभाजन के पश्चात् मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 308 हजार कि.मी. और जनसंख्या 60348023 है।

लम्बे समय से जारी मांग के मद्देनजर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने 1966 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा–पत्र में शामिल किया और इसे बनाने का वादा किया। 1996 के चुनावी घोषणा–पत्र में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का जो मुद्दा शामिल किया था, उसी के अनुरूप राज्य विधान सभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ। यह क्षेत्रीयता का ही नतीजा है कि नवम्बर 1956 में निर्मित मध्यप्रदेश वर्ष 1998 की समाप्ति तक अपने विभाजन की कगार तक पहुंच गया। 29 जून, 1998 को केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को मंजूर कर लिया।

छत्तीसगढ़ की मांग से मध्यप्रदेश के अव्यवस्थिति एकीकरण पर खतरा मंडराता दिखा। क्षेत्रीयता के नाम पर मध्यप्रदेश विधानसभा के अन्दर और बाहर जितनी खेमें बाजियां हुई है उतनी अन्य किसी राज्य में नहीं हुई।

मध्यप्रदेश के सोलह जिलों को मिलाकर 1,46,361 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित किया गया। इस नये राज्य की कुल जनसंख्या एक करोड़ 76 लाख 14 हजार 928 है, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख 50 हजार 253 ग्रामीण व 30 लाख 64 हजार 392 शहरी आबादी है। इसमें 59,290 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है, जिसकी सिंचाई क्षमता केवल 13.5 प्रतिशत है। ग्यारह लोकसभा, नब्बे विधान सभा सीटों को मिलाकर बस्तर, रायपुर व बिलासपुर आदि 16 जिले है। जिस क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत मध्यप्रदेश के कुल प्रतिशत से अधिक है। वहां की 90 में से 77 विधानसभा सीटें सामान्य वर्ग के लिये है। छत्तीसगढ़ के मुख्य आय स्रोत आबकारी, मनोरंजन कर तथा खनिज की रायल्टी से होने वाली आय है।[पपप] छत्तीसगढ़ सरकार के गठन तथा प्रशासनिक मशीनरी के भारी व्यय के बोझ के नीचे छत्तीसगढ़ की जनता के विकास का अंकुरण होगा या नहीं, यह समय ही बतायेगा। मध्यप्रदेश ने अपने पुनर्गठन के समय नागपुर के सम्पन्न क्षेत्रों को खोया था, दूसरे पुनर्गठन में उसने छत्तीसगढ़ जैसा क्षेत्र खोया है। रायपुर, राजनांदगांव दुर्ग और बिलासपुर जैसे सम्पन्न शहर तथा भिलाई, कोरबा, बैलाडिला, देवभोग जैसे संसाधनों से भरे क्षेत्र उसने खो दिये।

भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में 18^0 उत्तरी अक्षांश से 26.30^0 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74^0 पूर्वी देशान्तर से 84. 30^0 पूर्वी देशान्तर के बीच मध्यप्रदेश की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ बनने से पूर्व मध्यप्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य था। राज्य को विंध्य तथा सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां विभाजित करती है। राज्य को तीन प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है :– 1. मध्य उच्च प्रदेश इसके पांच उपभाग है :– अ. मध्य भारत का पठार, ब. मालवा का पठार, स. बुन्देलखण्ड का पठार, द. रीवा पन्ना का पठार, य. नर्मदा घाटी। 2. सतपुड़ा मैकल श्रेणी, 3. पूर्वी पठार।

मध्यप्रदेश की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, चम्बल, महानदी, बेतबा हसदो, तवा, क्षिप्रा, कालीसिन्ध आदि है। छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के कारण मध्यप्रदेश के क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर घट कर अब 308,245 वर्ग किलोमीटर हो गया। देश के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा 9.38 प्रतिशत हे। राज्य के विभिन्न जिले जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से एक समान नहीं है। सबसे छोटा जिला दतिया है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 5.87 प्रतिशत है। जनसंख्या के आधार पर देश में 7वां स्थान है। 2001 में प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि पर 24.34 प्रतिशत थी और जनसंख्या का घनत्व 196 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है।[पअ]

संदर्भ–

[प] आनंद प्रकाश अवस्थी– मध्यप्रदेश प्रकाशन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2007, पृ. 15
[पप] मायाराम सुरजन– मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश शासन भोपाल
[पपप] एस.ए.सिद्दीकी– मध्यप्रदेश सम्पूर्ण अध्ययन, साहित्य भवन, आगरा
[पअ] एस.ए.सिद्दीकी– मध्यप्रदेश सम्पूर्ण अध्ययन, साहित्य भवन, आगरा

निवास

85 , पंचशील नगर मेलाग्राउण्ड के पीछे
ग्वालियर मध्यप्रदेश